एकादश बिहार विधान-सभा वादवृत्त

भाग-1

कार्यवाही प्रश्नोत्तर

सत्यमेव जयते

बुधवार, तिथि 21 अप्रील, 1999

श्री बाबूलाल : उपाध्यक्ष महोदय, कब तक बनवा देंगे ?

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है वर्ष 1999-2000 वित्तीय वर्ष में।

कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्ध कार्रवाई

*485. **श्री विजय कुमार गुप्ता**–क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला में पाँच विधान सभा क्षेत्रों की ग्राम्य अभियंत्रण संगठन की सड़कों के सुदृढ़ीकरण हेतु विधायकों द्वारा अनुशंसित वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 की राशि प्रति विधान सभा क्षेत्र 17.70 लाख रु० कुल 88.50 लाख रु० का कार्य नहीं कराकर कार्यपालक अभियंता श्री जोधन चौधरी द्वारा सरेन्डर कर दिया गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो ऐसे पदाधिकारी पर सरकार उक्त कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई कबतक करना चाहती हैं, नहीं, तो क्यों ?

श्री अवध बिहारी चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-1 उत्तर स्वीकारात्मक है । वर्ष 1999-2000 में राशि की व्यवस्था हेतु वित्त विभाग के परामर्श से कार्रवाई की जाएगी ।

(2) श्री जोधन चौधरी, कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है ।

श्री विजय कुमार गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1997-98 में 7 लाख 70 हजार रुपए और वर्ष 98-99 में 10 लाख मिला था । ये सारे पैसे इस कार्यपालक अभियंता के चलते सरेन्डर हो गए । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कार्रवाई करेंगे । पिछले वर्ष 1997-98 से ही डी० आर० डी० ए० की

बैठक में तत्कालीन जिला पदाधिकारी उनके खिलाफ लिख चुके हैं, वहीं पर बीस-सूत्री के प्रभारी मंत्री महोदय ने भी उनके खिलाफ लिखा था । दो साल से कार्रवाई हो रही है फिर भी ये कार्यपालक अभियन्ता वहां पड़े हुए हैं तो फिर आप क्या कार्रवाई करेंगे कि वो वहां से हटेंगे और वहां कार्य होगा ।

श्री अवधबिहारी चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि कार्यपालक अभियन्ता जोधन चौधरी के क्रिया-कलाप के संबंध में माननीय सदस्य ने प्रश्न के माध्यम से सरकार को सूचना देने का काम किया है । महोदय, यह अभियन्ता बिलकुल अक्षम है और इनके ऊपर जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, वह कार्रवाई मैं करूंगा । कार्रवाई के माध्यम से इनकी सेवा को इनके पैतृक विभाग में लौटाया जाएगा और दूसरा भी हम काम करेंगे। महोदय, उनको इस अनुशंसा के साथ लौटायेंगे कि इनकी कभी भी कार्य कोटि में पदस्थापित नहीं किया जाय और जो सड़क बनाने की बात है, मैंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में हम वित्त विभाग को लिखकर राशि उपलब्ध कराकर, जो पैसा खर्च नहीं हुआ है, उसको खर्च कराकर सड़कों के मरम्मति की कार्रवाई करने की दिशा में कार्रवाई करेंगे ।

श्री विजेन्द्र यादव : उपाध्यक्ष महोदय.....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : सभी लोग एक साथ खड़े हो जाइयेगा तो कैसे होगा ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी एक्सप्रेस हाईवे की तरह जवाब देते हैं, इनको संजीदगी से जवाब देना चाहिए ।

महोदय, वर्ष 96-97, 97-98 एवं 98-99, 3 वर्षों में जो आर० ई० ओ० की राशि आवंटन दिया गया, वह खर्च नहीं हो पाया । महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । इस कार्यपालक अभियंता ने तीन वर्षों में कोई भी राशि खर्च करने का काम नहीं किया है जिसके कारण पूरा जिला सफर किया है । महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको पैतृक विभाग में वापस करेंगे, यह कोई दंड हुआ क्या ? महोदय, केवल एक क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे जिले

में तीन वर्षों से आर० ई० ओ० का एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ । मंत्री जी, हमारी बात को गम्भीरता से सुनिये । महोदय, बराबर हमलोगों ने मंत्री जी से आग्रह किया, विभाग को लिखा, यह वहाँ की जनता के साथ जुल्म और अन्याय नहीं तो और क्या है ? पूरा जिला सफर किया । तीन वित्तीय वर्ष में न तो नन-प्लान का, न आपके द्वारा आवंटित राशि से, न तो विधायक की अनुशंसा के आधार पर कोई भी योजना का काम हुआ । महोदय, जिले की सारी सड़कें खत्म प्राय: है ।

श्री अवध बिहारी चौधरी : महोदय, मैंने इसे गम्भीरता से लिया, इसीलिये मैंने कहा कि इनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई भी करेंगे, इनकी सेवा पैतृक विभाग में इस अनुशंसा के साथ लौटायेंगे कि कभी इनको कार्य कोटि में पदस्थापित नहीं किया जाय । महोदय, कल विशेष परिस्थिति में....

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : मंत्री जी, उनको ससपेंड करने में क्या आपत्ति है ?

अवध बिहारी चौधरी : महोदय, मैंने कहा है, माननीय सदस्य काफी जानकार और काफी समझदार सदस्य रहे हैं और इनको इस बात की जानकारी है कि निलम्बन के लिये कुछ प्रक्रिया है । मैं कह रहा हूं कि उनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई, मीन्स वही कार्रवाई, हम उनको इस रिकोमेंडेशन के साथ पैतृक विभाग में लौटायेंगे कि कभी इनको कार्य कोटि में पदस्थापित नहीं किया जाय ।

श्री अवध बिहारी चौधरी : जो मरम्मति का कार्य नहीं हुआ है, उस मरम्मति कार्य को करने के लिये वित्त विभाग से सम्पर्क कर सरकार उस सड़क की मरम्मति कराने हेतु इस वित्तीय वर्ष में कार्रवाई करेगी ।

अखाड़े का जीर्णोद्धार

*486. **श्री प्रेम कुमार**–क्या मंत्री भवन निर्माण एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–